2024:**CGHC**:48199

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2874/2016

1- लोकपाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं लोक सूचना अधिकारी, द्वारा महेंद्र महावर, जिला पंचायत, जगदलपुर, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़।

..

.याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्घ

1- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सचिव, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शं-कर नगर, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़

3- श्री बीरबल रात्रे, निवासी- ग्राम पंचायत राजनगर, ब्लॉक- बकावंड, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़

...उत्

तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री केशव देवांगन, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से : श्री श्याम सुंदर लाल टेकचंदानी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से : श्री सी. जयंत के. राव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से : कोई नहीं।

माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु

बोर्ड पर आदेश

03.12.2024

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, लोकपाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं लोक सूचना अधिकारी ने उत्तरवादी क्रमांक 1/छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2016 को चुनौती दी है। उक्त आदेश के द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 19.08.2015 को सूचना का अधिकार अधिनियम (एतस्मिन पश्चात जिसे 'अधिनियम' के रुप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया और उत्तरवादी क्रमांक 2/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर (छ.ग.) से 1 जनवरी 2015 से आज तक लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत सभी शिकायतों की प्रति, सभी जांच रिपोर्टों की प्रति, नोटशीट और लोकपाल द्वारा जांच के दौरान दर्ज किए गए उन कथनों की प्रति मांगी थी जिनमें जांच पूरी हो चुकी है। उक्त आवेदन के अनुसरण में, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 24.08.2015 के ज्ञापन के माध्यम से उक्त आवेदन याचिकाकर्ता को प्रेषित कर दिया। दिनांक 24.08.2015 के ज्ञापन की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता ने इसका उत्तर दिया और तर्क किया कि मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वह अपने कब्जे में मौजूद सभी सूचनाओं को गुप्त रखने के लिए बाध्य है और इसे किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं कर सकता है। यह भी उत्तर दिया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अधीन ऐसी जानकारी को किसी को भी प्रकट करने से छूट दी गई है। जब जानकारी प्रदान नहीं की गई, तो उत्तरवादी क्रमांक 3 ने उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, किंतु जब उक्त अपील का निर्णय नहीं हुआ, तो उन्होंने उत्तरवादी क्रमांक 1 के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 19.08.2015

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को 30 दिन की अवधि के भीतर उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। वर्तमान रिट याचिका में इसी आदेश दिनांक 30.08.2016 को प्रश्नगत किया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता न्यायालय के कार्यों का निर्वहन कर रहा है और एक न्यायालय होने के नाते याचिकाकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख किया और तर्क किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 भी वैश्वासिक संबंध में प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ज) उस जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है जिससे अपराधियों के अन्वेषण,पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन हो। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 'मनरेगा अधिनियम' की धारा 27 यह प्रावधान करती है कि यदि 'मनरेगा अधिनियम' के अधीन अनुदत्त निधियों को जारी करने या अनुचित उपयोग के संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा की गई शिकायत का अन्वेषण करा सकेगी। मनरेगा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निपटारे और शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रणाली की स्थापना के उद्देश्य से 'मनरेगा अधिनियम' के अधीन लोकपाल की स्थापना की गई है और यह प्रकृति में वैधानिक है। अतः आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 3 को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, पूर्णतः अवैध और अधिनियम 2005 के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी/सूचना आयुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि लोकपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आएगा। राज्य सरकार का नोडल विभाग इस प्रयो-

जन के लिए लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित एवं न्यायसंगत है।

5. मैंने दोनों पक्षकारों को सुना है और दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. यह परीक्षण करने के लिए कि क्या लोकपाल के कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आएंगे, लोकपाल संबंधी निर्देशों के सुसंगत हिस्से को उद्धृत करना उचित होगा, जिन्हें मनरेगा अधिनियम की धारा 27 के अधीन मनरेगा अधिनियम और राज्यों द्वारा अधिनियम के अधीन बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण और शिकायतों के निपटारे के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। निर्देश 15.1 सुसंगत है और इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

> 15. **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन लोकपाल का कवरेज:-**
>
> 15.1. लोकपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आएगा, राज्य सरकार का नोडल विभाग इस उद्देश्य के लिए लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. निर्देश यह प्रावधान करता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के लोकपाल, अधिनियम 2005 के अध्यधीन हैं और लोकपाल की कार्यवाही या कार्य के संबंध में कोई भी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना चाहने वाले को प्रदान की जा सकती है। एक बार जब विशेष अधिनियम अर्थात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 स्वयं लोकपाल को अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शामिल कर लेता है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मांगी गई जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। जहां तक याचिकाकर्ता के इस तर्क का संबंध है कि उसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 से छूट प्राप्त है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें लोकपाल के कार्यों के लिए किसी भी छूट का प्रावधान नहीं है और लोकपाल/याचिकाकर्ता के पास मौजूद जानकारी के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। इसलिए, सूचना आयुक्त ने उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता को सही निर्देश दिया है। उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2016 में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।

8. फलस्वरुप, रिट याचिका खारिज की जाती है।

सही/-

(बिभु दत्त गुरु)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur